आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

2019

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
राजस्व विविध वाद सं0–02/2018–19
कमला बेवा
बनाम
सुरेश मंडल एवं अन्य
आदेश

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 26/रा0 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा उनके राजस्व विविध वाद संख्या– 05/18 (कमला बेवा –बनाम– सुरेश मंडल एवं अन्य) का मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। वाद को अंगीकृत करते हुए उभय पक्षों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निबंधित केवाला संख्या 283/दिनांक 28.01.1960 के अुनसार तीन व्यक्तियों यथा रामचन्द्र मंडल, व अकाली चन्द्र मंडल दोनो पे0–हरीश चन्द्र मंडल, सुशील चन्द्र मंडल पे0–जागेश्वर मंडल के नाम जमीन क्रय हुआ था, फलस्वरुप अपीलार्थी का अनुरोध है कि उक्त निबंधित केवाला के अनुसार तीनों को बराबर–बराबर हिस्सा जमीन पंजी–II में नाम अंकित हो, अनुरोध किया गया है।

विपक्षी साधीन चन्द्र मंडल पे0– स्व0 राम चन्द्र मंडल, सा0–लालमाटी, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज का कहना है कि चूँकि पंजी–II में रामचन्द्र मंडल का नाम दर्ज है, जो मेरा पिता है। फलस्वरुप उक्त जमीन रकवा 02–05–06 धूर हमलोगों के हिस्से की है। इस प्रकार विपक्षीगण ने अनुरोध किया है कि संबंधित राजस्व विविध वाद को निरस्त किया जाय।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–ग्रामसीर के वर्त्तमान पंजी–II के जमाबंदी न0 333/1, दाग न0 238, रकवा 02–05–06 धूर जमीन राम चन्द्र मंडल पे0–स्व0 हरिशचन्द्र मंडल, सा0–कटहलबाडी के नाम से दर्ज है।

निबंधित केवाला संख्या 283/दिनांक 28.01.1960 के अनुसार क्रेता के तीन व्यक्तियों यथा रामचन्द्र मंडल व अकाली चन्द्र मंडल दोनों पे0–हरीश चन्द्र मंडल, सुशील चन्द्र मंडल पे0–जागेश्वर मंडल के नाम दाग सं0 238 रकवा 02–05–06 धूर दर्ज है। फलस्वरुप संबंधित निबंधित केवाला के आधार पर तीनों व्यक्तियों का नाम पंजी–II में दर्ज होना चाहिए परन्तु पंजी–II में मात्र रामचन्द्र मंडल पे0–स्व0 हरीशचन्द्र मंडल, सा0–कटहलबाडी के नाम दर्ज है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत अंचल अधिकारी को जमाबंदी सुधार करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अंचल अधिकारी आवेदक से Affidavit प्राप्त करते हुए Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 के अनुसार जमाबंदी सुधार करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner